न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1.निगरानी संख्या– 146 /2013–14

श्रीमती लीला –बनाम– उप जिलाधिकारी आदि

2.निगरानी संख्या– 147 /2013–14

श्री बालचन्द –बनाम– उपजिलाधिकारी आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा रहमतपुर अहतमाल,
परगना व तहसील रूडकी जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की द्वारा वाद संख्या–83/2009 अन्तर्गत नियम 176क(2) जमींदारी विनाश नियमावली गांव सभा बनाम अली हसन आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की रिपोर्ट/पत्र दिनांक 16–07–2009 के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी के न्यायालय में वाद दर्ज हुआ। निगरानीकत्री को अन्य व्यक्तियों सहित 1383 फसली व 1399 फसली में बतौर आसामी भूमि आवंटित की गई थी। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलेक्टर द्वारा इस विवेचना सहित आवंटित भूमि के पट्टे निरस्त किए गए कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 176क के अनुसार पट्टे की अवधि 05 वर्ष होती है जबकि आवंटीगण्ण लगभग 32–33 वर्ष से भूमि का उपयोग करते चले आ रहे हैं जिस कारण आवंटीगण के पक्ष में आसामी आवंटन बनाये रखे जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 से निगरानीकर्तागण के साथ–साथ अन्य व्यक्तियों के भी पट्टे निरस्त किए गए। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानियां इस न्यायालय में योजित की गई है।

निगरानीकर्तागण को सुना गया एवं निगरानी का अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्तागण ने तर्क दिया कि निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि लगभग 35 वर्ष से अधिक तत्कालीन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर वर्ष 1975 में आवंटित की गई थी तभी से निगरानीकर्तागण ने उक्त भूमि को विकसित कर उस पर काबिज काश्त कर रहे हैं। अवर न्यायालय की कार्यवाही की कोई सूचना निगरानीकर्तागण को नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस उसे प्रेषित किया गया। सूचना प्राप्त न होने के कारण वह अवर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। निगरानीकर्तागण का वादग्रस्त भूमि पर 35 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली की धारा–202

में आसामी की बेदखली की प्रकिया को अपनाया जाना चाहिए था। प्रतिवादी को आसामी के रूप में पांच वर्ष पूर्ण होने के दिनांक से तीन वर्ष के अन्दर बेदखल किया जा सकता था जो कि नहीं किया गया। अवर न्यायालय की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है और निगरानीकर्तागण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। निगरानीकर्तागण ने यह भी तर्क दिया कि पूर्व में मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा समान प्रकरणों में निगरानी संख्या–56/2009–10 निसार आदि बनाम राज्य आदि एवं अन्य निगरानियों में निर्णयादेश दिनांक 15–03–2010 से निगरानी स्वीकार प्रकरण को पट्टेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण विचारण न्यायाल को प्रतिप्रेषित किया गया है।

निगरानीकर्तागण को सुना गया एवं निगरानी तथा विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 15–03–2010 को भी अवलोकन किया गया। यह तथ्य स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूड़की द्वारा प्रश्नगत निर्णयादेश दिनांक 03–11–2009 पारित करने से पूर्व पट्टेदार/निगरानीकर्तागणोंको सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिसकी पुष्टि निर्णयादेश के पृष्ठ–8 की अन्तिम पंक्ति से होती है जिसमें आवंटीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि पट्टाधारकों के कब्जे में प्रश्नगत भूमि 30–35 वर्षों तक रहीं है और पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पट्टाधारकों के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही इतने लम्बी अवधि तक क्यों नहीं की गई। पट्टाधारक का पट्टा निरस्त करने से पूर्व उसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान न किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 15–03–2010 के आलोक में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, रूडकी द्वारा पारित निर्णयादेश 03–11–2009 एवं 16–11–2009 निरस्त कर प्रकरण अवर न्यायालय को उपरोक्त निर्णयादेश एवं विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 15–03–2010 में दी गई विवेचना के अनुसार निगरानीकर्तागण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। अवर न्यायालय तद्नुसार वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। यह आदेश केवल निगरानीकर्तागण के प्रकरण पर ही लागू होगा।

दिनांकः 26 जून, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।